109/17

श्री नारायण सिंह v/s श्री निरंजन सिंह व अन्य

11-5-18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत, न्याय
आपके द्वार कैम्प कोर्ट तारागढ़ में पेश हुआ।
वादी का पुत्र मोहनसिंह उप.। प्रतिवादी गण उप.।
उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। ख. सं.
2271/1 रकबा 02-09-00 पर पूर्व में विचाराधीन
वाद सं. 23/18 में प्रारंभिक डिक्री जारी
किये जाने से एवं उक्त खसरा का समावेश,
वाद सं. 23/18 में होने से एवं वही पक्षकारान
होने से अब इस वाद पत्र पर कोई अनुतोष
शेष नहीं रहता है जिस बाबत उपस्थित
पक्षकारान ने भी सहमति ज़ाहिर की। उक्त
आशय के हस्ताक्षर उपस्थित पक्षकारान से
करवाये गए। अत: इस प्रकरण पर कार्यवाही
इसी स्तर पर ड्राप की जाती है। प्रकरण
खारिज किया जाता है जिसका फैसला शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

① भंवर सिंह
② मोहन सिंह
⑤ चैन सिंह
करण सिंह
त्रिलोक सिंह
सुराज सिंह
भरतसिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official